फार्म – 'क'

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा – 2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एंजेसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :–

(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण	–	ग्राम पुटकापुरी (कोंड़ातराई), जिला–रायगढ पटवारी हल्का नं. 16 खसरा नं. 133 / 1 रकबा 1.800 हेक्ट. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ के जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़, जिला – रायगढ़ द्वारा 132 / 33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है।
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	–	मानचित्र संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत	–	रू. 14.01 करोड़
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	–	ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) पटवारी हल्का नं. 16 खसरा 133 / 1 रकबा 1.800 हेक्ट. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़, जिला – रायगढ़ द्वारा 132 / 33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है। इस उपकेन्द्र हेतु चयनित वर्तमान भूमि भौगोलिक, तकनीकी एवं पहुंच मार्ग की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। अतः इस स्थल को ही अंतिम रूप से चयनित किया गया है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	–	
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है	–	132 / 33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोंड़ातराई की स्थापना के पश्चात् उक्त उपकेन्द्र के संचालन एवं रखरखाव हेतु लगभग 25 कर्मचारियों की पदस्थ किया जावेगा।

2. **कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण** – ग्राम पुटकापुरी (कोंड़ातराई) पटवारी हल्का नं. 16 खसरा नं. 133/1 रकबा 1.800 हेक्ट. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़, जिला – रायगढ़ द्वारा 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

3. **परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है –**

(i) परिवारों की संख्या	–	लागू नहीं है।
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	–	लागू नहीं है।
(iii) पुनर्वास योजना (संलगन किए जाने के लिए)	–	लागू नहीं है।

4. **क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)** – आवश्यक नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) – वचन पत्र संलग्न है।

6. **निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा** – चेक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न है।

(पी.एस. नेताम)
कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग,
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायगढ़
Executive Engineer (Civil-Tran')
Division, C.S.P.T.C.L. Raigarh